

राजस्थान-सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(1)न्याय/2017 पार्ट

जयपुर, दिनांक 24 APR 2017

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक आधार पर एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1.	श्रीमती नीता विजय मिश्रा, उप विधि परामर्शी,	उप विधि परामर्शी, कार्यालय महानिदेशक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर	उप विधि परामर्शी, निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, अजमेर	श्री जगदीश कुमार के स्थान पर
2.	श्री जगदीश कुमार, उप विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी, निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, अजमेर	उप विधि परामर्शी, कार्यालय महानिदेशक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर	श्रीमती नीता विजय मिश्रा के स्थान पर
3.	श्री संजय माथुर, सहायक विधि परामर्शी	सहायक विधि परामर्शी, जिला कलक्टर कार्यालय जयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	सहायक विधि परामर्शी, कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर	नवक्रमोन्नत पद पर
4.	श्री विनोद कुमार जांगिड, सहायक विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा (विधि-11), जयपुर	श्री केदार नाथ के स्थान पर
5.	श्री केदार नाथ, सहायक विधि परामर्शी	सहायक विधि परामर्शी, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा (विधि-11), जयपुर	उप विधि परामर्शी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर	श्री विनोद कुमार जांगिड के स्थान पर उप विधि परामर्शी के पद के विरुद्ध
6.	श्री संजय कुमार वरिष्ठ विधि अधिकारी	आदेशों की प्रतीक्षा में	वरिष्ठ विधि अधिकारी, निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर	रिक्त पद पर

आज्ञा से  
24.04.17  
(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. विशेषाधिकारी, माननीय विधि राज्य मंत्री महोदय।
3. संबंधित विभाग को प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 (प्रति संलग्न) के अनुसार 7 दिवस में पालना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे इस विभाग की आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार 7 दिवस में पालना सुनिश्चित करें।
5. रक्षित पत्रावली।
6. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।

24.04.17  
संयुक्त शासन सचिव